प्रेसविज्ञप्ति दिनांक 12.07.2021

थाना कोतवाली

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा मादक पदार्थ सहित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 600 ग्राम अवैध चरस बरामदः-

आज दिनांक 12.07.2021 पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान सूचना पर 01 अभियुक्तों को 600 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.शादाब उर्फ सोनू पुत्र इमरान निवासी ग्राम बराला थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1. अवैध चरस 600 ग्राम।

थाना आदर्शमण्डी

थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा महिला सब इंस्पेक्टर के साथ हुई करीब एक लाख रूपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी मामले में झारखंड से साइबर अपराधी गिरफ्तार, धोखाधडी हेतु प्रयुक्त मोबाईल फोन बरामद-

विदित हो कि दिनांक 27.06.2021 को जनपद शामली के एएचटीयू थाने मे तैनात महिला उ0नि0 श्रीमति पूनम गौतम के मोबाइल फोन पर आनलाईन धोखाधडी करने में सक्रिय साइबर अपराधियों द्वारा बैंक ट्रांजेक्सन सम्बन्धी एक मैसेज भेजा गया था। जिसके साथ बैंक के टोल फ्री नम्बर से सम्पर्क करने के विषय में कहा गया था। भेजे गये टोल फ्री नम्बर पर जानकारी किये जाने पर बैंक के कर्मचारी बनकर साइबर अपराधी द्वारा महिला उ0नि0 के खाते सम्बन्धित जानकारिया लेकर उसके खाते से करीब एक लाख रूपये का आनलाईन ट्रानजेक्सन कर लिया गया। महिला उ0नि0 द्वारा अपने साथ हुई इस आनलाईन धोखाधडी के सम्बन्ध मे तत्काल थाना आदर्श मण्डी पर सूचना दी गई। जिसके सम्बन्ध मे जनपद के साइबर सेल को भी अवगत कराया गया। महिला उ0नि0 के साथ हुई इस आनलाईन ठगी के सम्बन्ध मे थाना आदर्श मण्डी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया । पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभारी निरीक्षक आदर्श मण्डी व प्रभारी साइबर सेल शामली को उक्त घटना में लिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी एवम धनराशि की वापसी हेतु यथा शीघ्र प्रयास किये जाने को दिशा-निर्देश दिये गये ।

महिला उ0नि0 के साथ हुई ठगी की इस घटना के सम्बन्ध मे जनपद की साइबर सेल द्वारा तत्परता से कार्य करते हुए आनलाईन ठगी गई धनराशि को सम्बन्धित बैंक में फ्रीज कराया गया तथा इस घटना को कारित करने वाले साइबर अपराधियों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की गई। साइबर अपराधी झारखण्ड राज्य के जनपद देवघर से सम्बन्धित होना ट्रेस किया गया। साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु थाना आदर्श मण्डी पुलिस द्वारा जनपद देवघर की साइबर सेल एवम थाना देवीपुरा से सहयोग करने हेतु कहा गया तथा एक पुलिस टीम दिनांक 06.07.2021 को देवघर झारखण्ड साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु भेजी गई। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा झारखण्ड राज्य के देवघर जनपद के पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क कर आवश्यक सहयोग करने हेतु आग्रह किया गया। जनपद की टीम द्वारा थाना देवीपुरा जनपद देवघर झारखण्ड की सहयोग से उक्त घटना में संलिप्त एक साइबर अभियुक्त को दिनांक 08.07.2021 को गिरफ्तार किया गया, जिसे सम्बन्धित न्यायालय से ट्रांजिट रिमाण्ड लेकर थाना आदर्श मण्डी लाया गया।

इस क्रम में आज दिनांक 12.07.2021 को थाना आदर्श मण्डी पुलिस द्वारा अभियुक्त को माननीय न्यायालय मे पेश कर जेल भेजा गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के अन्य साथियो की जानकारी एकत्रित की गई है, जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीम रवाना की जायेगी।

अपराध का तरीकाः- गिरफ्तार अभियुक्त से की गई पूछताछ में जानकारी हुई है कि उसके बैंक अकाउंट में पेटीएम के जरिये पैसा पहुचता है, जिसमे से उसे एक बार के ट्र्जेक्सन मे उसके ही गांव का इकबाल 03 हजार रूपये देता है । इसी प्रकार गांव के कुछ अन्य लोगो के भी बैक अकाउंट नम्बर इकबाल ने ले रखे है। इकबाल उनके खाते मे आये पैसे लेकर उसे आनलाईन ठगी करने वाले मुख्य अपराधियों तक पहुचा देता है। मुख्य अपराधी नेट के जरिये लागो के मोबाईल पर बैक ट्रांजेक्सन सम्बन्धी मैसेज भेजता है, जिसके साथ फर्जी बैंक का टोल फ्री नम्बर अटैच किया जाता है। ठगी का शिकार होने वाला व्यक्ति जैसे ही भेजे गये मैसेज में बैंक के टोल फ्री नम्बर पर शिकायत करता है उससे शिकायत के दौरान बैंक खाता सम्बन्धी जानकारी हासिल कर ली जाती है और उसके अकांउट से आनलाईन ट्रांजेक्सन कर धनराशि ठग ली जाती है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.मौहम्मद इलियास अंसारी पुत्र सुलेमान अंसारी निवासी ग्राम पहाडपुर थाना देवीपुर जनपद देवघर झारखण्ड ।

बरामदगी का विवरण-

1. घटना मे प्रयुक्त 01 मोबाईल फोन ।

थाना बाबरी

थाना बाबरी पुलिस द्वारा ग्राम बन्तीखेडा में जान से मारने की नीयत से फायर करने की घटना में वांछित 01 ओर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार बरामद।

दिनांक 11.07.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना बाबरी पुलिस द्वारा ग्राम बन्तीखेडा में जान से मारने की नीयत से फायर करने की घटना मे वांछित अंकित जावला पुत्र सुधीर कुमार को अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 12.06.2021 को श्री प्रमोद पुत्र भोपाल निवासी ग्राम बन्तीखेडा थाना बाबरी द्वारा उस पर जानलेवा फायरिंग किये जाने के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर तहरीर दाखिल की थी। दाखिल तहरीर के आधार पर थाना बाबरी पर सुंसगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थानाध्यक्ष बाबरी को आवश्यक निर्देश दिये गये थे। गिरफ्तार अभियुक्त का 01 साथी अक्षय उर्फ मोन्टी पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1- अंकित जावला पुत्र सुधीर कुमार निवासी ग्राम हुरमजपुर थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण-

1- घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त -

1. मु0अ0सं0 776/17 धारा 392 भादवि थाना नई मण्डी जनपद मु0नगर।
2. मु0अ0स0 411/15 धारा 307 भादंवि थाना कांधला जनपद शामली।
3. मु0अ0स0 354/17 धारा 392 भादवि थाना कंकर खेडा जनपद मेरठ।

4- मु0अ0स0 39/17 धारा 342,392 भादंवि थाना गंगानगर जनपद मेरठ।
5- मु0अ0स0 273/16 धारा 379 भादंवि थाना जानी जनपद मेरठ।
6- मु0अ0स0 10/18 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना खतौली जनपद मु0नगर।
7- मु0अ0स0 919/17 धारा 392 भादंवि थाना खतौली जनपद मु0नगर।
8- मु0अ0स0 1063/17 धारा 411,420,120बी,414 थाना खतौली जनपद मु0नगर।
9- मु0अ0स0 1065/17 धारा 25 आयुद्व अधि0 थाना खतौली जनपद मु0नगर।
10-मु0अ0स0 627/18 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना नई मण्डी जनपद मु0नगर।
11-मु0अ0सं0 776/17 धारा 392 भादवि थाना नई मण्डी जनपद मु0नगर।

थाना गढीपुख्ता

थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा तीन तलाक के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 11.07.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा 3 तलाक के मामले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना गढीपुख्ता पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो दिनांक 10.04.2021 को वादिया सदमानी ने उसके पति द्वारा 3 बार तलाक शब्द बोलकर तलाक देने के सम्बन्ध में थाना गढीपुख्ता पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना गढीपुख्ता पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. दीन मौहम्मद पुत्र नसीम निवासी आजाद मार्केट थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद।

थाना झिंझाना

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 20 लीटर अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब व 01 किलोग्राम यूरिया के साथ अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 12.07.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाए जा रहे अवैध शराब निर्माण/तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा चेकिंग में 20 लीटर अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब व 01 किलोग्राम यूरिया के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1-जगमाल पुत्र काटू निवासी ग्राम शामली शामला थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1-20 लीटर अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब।

2-एक किलोग्राम यूरिया।

3-एक बाल्टी व एक मग्गा।

थाना कैराना

गिरफ्तारी व अन्य कानूनी कार्यवाही के निरंतर दबाव में थाना कैराना पुलिस के समक्ष गैंगस्टर एक्ट में वांछित 05 गैंगस्टर ने किया आत्मसमर्पणः-

आज दिनांक 12.07.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/गैंगस्टर अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कैराना क्षेत्र के 05 गैंगस्टर द्वारा गिरफ्तारी के बढ़ते दबाव के चलते थाना कैराना पर आत्मसमर्पण किया गया है, जिसके सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है । अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना कैराना पर बलवा, हत्या का प्रयास एवं चोरी आदि के पूर्व में अभियोग पंजीकृत है, जिन पर अंकुश लगाने हेतु अभियुक्तगण के विरूद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही की गयी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.अब्बास उर्फ बासा पुत्र रफीक ग्राम रामड़ा थाना कैराना जनपद शामली।
2.तसलीम पुत्र सगीर उर्फ नन्ना निवासी ग्राम रामड़ा थाना कैराना जनपद शामली।
3.आरिफ पुत्र सगीर उर्फ नन्ना निवासी ग्राम रामड़ा थाना कैराना जनपदे शामली।
4.इलियास पुत्र रफीक निवासी ग्राम रामड़ा थाना कैराना जनपद शामली।
5.इमरान पुत्र उमर निवासी ग्राम रामड़ा थाना कैराना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगणः-

1.मु0अ0स0-606/17 धारा 147,148,149307,336,353 भादवि व 7 सीएल एक्ट थाना कैराना जनपद शामली।